



बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष सं०- 06189 - 223241 (0)
फैक्स सं०- 06189 - 223301
E-mail - dm-bhabhua.bih@nic.in

पत्रांक...../गो० दिनांक.....
प्रेषक,
जिला पदाधिकारी,
कैमूर, भभुआ।
सेवा में,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
कैमूर, भभुआ।
विषय:- माल एवं सेवा कर अधिनियम (GST) के अन्तर्गत निबंधन प्राप्त करने के संबंध में।
प्रसंग:- वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 2712, दिनांक 14.09.2018
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत श्रोत पर कर कटौती संबंधित प्रावधान दिनांक 01.10.2018 से लागू होने जा रहा है। इसके लिए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को GST के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2018 तक निबंधन प्राप्त करना आवश्यक है। जिन DDO ने अभी तक निबंधन प्राप्त नहीं किया है, वे www.gst.gov.in पर लॉग-इन कर अपना निबंधन करा लें। इसके लिए उनके द्वारा Form GST REG-07 में आवेदन ऑनलाईन दाखिल करना होगा। इसके लिए उन्हें TAN एवं Digital Signature की आवश्यकता होगी। Digital Signature नहीं करने की स्थिति में Electronic Verification Code (EVC) द्वारा भी आवेदन दिया जा सकता है।

सहायता के लिए विभाग द्वारा 24 X 7 हेल्पडेस्क कार्यरत है जिसका नम्बर 0612-2233512, 13, 14, 15, 16, मो०- 9472457846 एवं टॉल फ्री न०- 18003456102 है।

विश्वासभाजन

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
कैमूर, भभुआ

ज्ञापांक 3843...../गो० दिनांक 20/9/2018

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को जिले के वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

20-9-18
जिला पदाधिकारी,
कैमूर, भभुआ